रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 1977/पौष 27, 1898
No. 16] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 1977/PAUSA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF INDUSTRY

**(Department of Industrial Development)**

ORDER

*New Delhi, the 17th January* 1977

**S.O. 22(E)/18FB/IDRA/77.**—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development No. S.O. 37(E)/18FB/IDRA/75, dated the 17th January, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, by the order of the Central Government in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 39(E)/18FB/IDRA/76 dated the 15th January, 1976 the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 16th January, 1977;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period of one year.

[No. F 2(9)/74-CUC]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

## उद्योग मंत्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1977

**का० आ० 22(अ)/18 चख/उ० वि० वि० अ०/77.**—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स०का०आ० 37(असा०)/18चख/उ०वि०वि०अ०/75, तारीख 17 जनवरी, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा यह घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है), जिसकी मेसर्स मोटर एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू किए जा सकते है, प्रवर्तन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

आदेश स० का० आ० 39 (असा०)/18 चख/उ०वि०वि० अ०/76, तारीख 15 जनवरी, 1976 द्वारा और केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, (औद्योगिक विकास विभाग) के उक्त आदेश की कालावधि 16 जनवरी, 1977 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश को कालावधि एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की कालावधि एक वर्ष को और अवधि के लिए बढ़ाती है ;

[सं० फा० 2(9)/74-सीयूसी]

ए० के० घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977